



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 474

दिनांक : 23-6-17

प्रति,

प्राचार्य,
मनोविकास कॉलेज ऑफ स्पेशल एज्यूकेशन
सक्टर 09, जवाहर नगर, उज्जैन।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिचय क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरंतरता आवेदन क्रमांक 2336, दिनांक 03.06.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय शीट संख्या वृद्धि को ज्ञान/सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशासक विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.06.2017 में प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि, मनोविकास कॉलेज ऑफ स्पेशल एज्यूकेशन, उज्जैन में सत्र 2017-18 से वी.एड. स्पेशल एज्यूकेशन (मानसिक मंदता) पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशासकानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017-18 से वी.एड. स्पेशल एज्यूकेशन (मानसिक मंदता) पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों को शर्तों को पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर प्रदान की जाये।


उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के अन्तर्गत जो कि निम्न विवरणानुसार सत्र 2017-18 से शर्तों के अधीन कार्यारोपित आवेदन को प्रयास में किया जायेगा सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	शीट संख्या
01.	वी.एड.-स्पेशल एज्यूकेशन, (मानसिक मंदता)	30

- शर्तें :-**
01. पाठ्यक्रमानुसार नवीन पुस्तकों का क्रय किया जाये।
 02. R.C.I. के Norms अनुसार उपकरणों को क्रय किया जाये।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति तीन माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 475

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ग.प्र.शासन, ग.प्र.राज.
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन।

दिनांक : 23-6-17

पृष्ठ सं. 02